न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, रिछपालसिंह बुरड़क R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1262/2017

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थी :–
1. पुखराज पुत्र धन्नाराम 2. बुधाराम पुत्र धन्नाराम जातियान माली निवासीगण पीपाड़ शहर, हाल निवास सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		तहसीलदार पीपाड़ शहर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री जेठाराम चौहान प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 12.10.2017

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः– ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 1345/8 रकबा 14 बिस्वा, ख.न. 1345/10 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रति सलंग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की बंटशुदा कब्जासुदा व कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम सुदा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार/तारबंदी करवाना चाहते है। वादग्रस्त आराजी ख.न. 1345/8, ख.न. 1346/10 का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर

श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 1345/8 रकबा 14 बिस्वा,

ख.न. 1345/10 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमावें।

हमने प्राथीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो कोई आपति नही है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर स दोहराया एवं वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 1345/8 रकबा 14 बिस्वा, ख.न. 1345/10 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाने का निवेदन किया है।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण पक्ष में प्रतित होता है क्योकि प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है उसे अपनी खातेदारीसुदा जमीन पर सीमांकन करवा कर मुटाम स्थापित करवाने का पूर्ण अधिकारी है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्द्ओं अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 1345/8 रकबा 14 बिस्वा, ख.न. 1345/10 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 1345/8 रकबा 14 बिस्वा,

ख.न. 1345/10 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि का टीम गठित कर नाप चौप कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क

प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर